ज्ञापांक–**7157**/तक0 / 2023

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–23.12.2023

सेवा में,

RAJ BHARATI SIKSHA NIKETAN,
SETTLER- RAJESH KUMAR SINGH,
IC-1, IC-2& IC3, SURVEY PLOT NO-45(P),41(P),42(P),
NEAR ADITYAPUR AUTO CLUSTER, ADITYAPUR.

बिषय :– मौजा–HATHIADIH AND BHATIA, प्लाट नं0–IC-1, IC-2& IC3, SURVEY PLOT NO-45(P),41(P),42(P), खाता न0–60, वार्ड नं0–N/A, थाना नं0–60, जिला–सरायकेला–खरसावाँ में प्रस्तावित शैक्षणिक भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित प्रस्तावित शैक्षणिक भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आदित्यपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराई गई। उन्होंने अपने ज्ञापांक–451, दिनांक–09.12.2023 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा की अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित शैक्षणिक भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. निर्मित शैक्षणिक भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 75,000 लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक भवन में कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवन के प्रत्येक स्टेयरकेश में 150mm डाया का वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट एवं 30-30 मीटर लम्बा होज रील होज एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
5. शैक्षणिक भवन के चारों तरफ 150 MM डाया वाला एक रिंग मेन्स का निर्माण किया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ड का संस्थापन किया जाय एवं यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
6. भवन के बेसमेन्ट को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 2250 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प संस्थापित कराया जाय।
8. 900ली0 / मि0 क्षमता का टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
9. 180 Lpm क्षमता वाले जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
11. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
12. शैक्षणिक भवन के सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
13. शैक्षणिक भवन में प्रत्येक स्टेयर केश के प्रत्येक तल पर एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की वयवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
14. शैक्षणिक भवन परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
    i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 06 Nos.
    ii. Fire Bucket - 08 Nos.
    iii. Water CO_2 Fire Extinguisher 09 Ltr- 06 Nos.
15. शैक्षणिक भवन में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।

16. शैक्षणिक भवन के सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
17. शैक्षणिक भवन के ऑडिटोरियम के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
18. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद CO_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
19. शैक्षणिक भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जॉय।
20. शैक्षणिक भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21. शैक्षणिक भवन के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम अथवा लैब एवं लाईब्रेरी हो तो उसमें 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद Co_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
22. शैक्षणिक भवन की उँचाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए एवं भवन में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
23. भवन के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
24. निर्मित शैक्षणिक भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
25. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
26. भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
27. अग्नि–सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेंगे।
28. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3c c4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3 ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.12.25 08:06:08 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।